कार्यालय नगर पालिका परबतसर जिला—नागौर

बिड सम्बन्धी प्रस्तुत दर विवरण प्रपत्र

कार्य की प्रगति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संशाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर	ईएसआई 3.25	ईपीएफ 12	आरक्षित प्रतिमाह दर	आरक्षित वार्षिक दर	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्जेज मय समस्त (ईएसआई व ईपीएफ) कर आदि सहित राशि (प्रति माह में)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्जेज मय समस्त (ईएसआई व ईपीएफ) कर आदि सहित राशि (वार्षिक)
विभिन्न कार्यो हेतु श्रमिक सप्लाई कार्य	8	225	7	27	62160.00	745920.00		

नोट :– पालिका स्तर से निर्धारित की गई न्यूनतम/आरक्षित दर 62160.00 प्रति माह व 745920.00 वार्षिक से कम किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होगी।

कार्यालय नगर पालिका परबतसर

Email-npparbatsar@gmail.com

फोनः– 01589–270141

नगरपालिका परबतसर की ओर से पालिकामें विभिन्न काया`हेतु श्रमिक सप्लाई किये जाने के लिए तकनीकी बिड दस्तावेजों सम्बन्धी विवरण पत्र –

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या विवरण
1.	ठेका कार्य में सम्मिलित होने हेतु फर्म के पास ईएसआई/ईपीएफ सम्बन्धी पंजीयन पत्रादि दस्तावेज।	
2.	पालिका के किसी अधिकारी/कर्मचारी/पार्षद से ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् 10/–रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्आम्प पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित मूल शपथ पत्र।	
3.	सफाई ठेका कार्य में सम्मिलित होने हेतु फर्म के पास सफाई सम्बन्धित ठेका कार्य करने का अनुभव सम्बन्धी पत्रादि दस्तावेज।	
4.	अमानता व अन्य राशि जरिये डीडी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परबतसर के नाम प्रस्तुत करनी होगी।	
5.	सफाई ठेका कार्य में सम्मिलित होने हेतु फर्म के पास विगत तीन वर्ष में में 10 लाख का टर्न ओवर होने सम्बन्धी सी.ए. प्रमाणित दस्तावेज।	

कार्यालय नगर पालिका मण्डल परबतसर नागौर (राज.)

मूल्य 500/—रू0

कार्यालय नगर पालिका परबतसर

Email-npparbatsar@gmail.com फोनः— 01589—270141

पालिका के विभिन्न कार्यो हेतु श्रमिक सप्लाई का बिड (बोली) प्रपत्र

1. बिड (बोली) प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता मय दूरभाष नम्बर

   ....

   ....
2. बिड दस्तावेजों को निर्धारित समय पर सीलबन्द लिफाफों में जमा करवाये जाने का होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्रस्तुत बिड पर किसी स्तर पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. रजिस्ट्रेशन कमांक..दिनांक...................
4. संलग्न किये जाने वाले बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परबतसर के नाम से सम्बोधित किया जाना है।
5. **बिड (बोली) शुल्क राशि 500/—रू0**डीडी कमांक...................दिनांक.........
6. हम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परबतसर द्वारा जारी की गई बिड (बोली) सूचना में वर्णित सभी शर्तो एवं संलग्न बिड (बोली) शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं, इनके सभी पृष्ठों पर उनमें लिखित शर्तो का हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर किये हैं।
7. विभिन्न कार्य हेतु फर्म को निम्न श्रमिक उपलब्ध करवाये जाने होगें।

अ—	कार्यालय व गैराज हेतु चौकीदार	—	01
ब—	कपड़ा बैंक स्टोर हेतु कीपर	—	01
स—	बस स्टेण्ड क्षैत्र में कर वसूली हेतु श्रमिक	—	01
द—	बागवानी कार्य हेतु बागवान	—	01
य—	मूत्रालयों/शौचालयों की सफाई हेतु श्रमिक	—	02
र—	सामुदायिक शौचालयों के संचालन हेतु श्रमिक	—	02

8. सभी श्रमिक एप्रिन नेवी ब्ल्यू कलर की वेशभूषा पहनेगेंजो फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. श्रमिको की संख्यात्मक सूची उपलब्ध करवानी होगी एवं नाजमद रेकार्ड निकाय नहीं रखेगी।
10. श्रमिक डन्डे वाली झाडू का उपयोग करेगें जो संवेदक द्वारा प्रदान की जावेगी।
11. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक नम्बर..दिनांक.......................राशि 19000.00 रू0 जो बैंक..का है। धरोहर राशि के पेटे संलग्न है।

बिडर्स का नाम व हस्ताक्षर

पालिका में विभिन्न कार्यो हेतु श्रमिक सप्लाई सम्बन्धी ठेका की शर्ते

1. समय पर कार्यालय व्यवस्था एवं प्रदान किये गये कार्यो पर श्रमिक नहीं होने पर पालिका को हुई हानि की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। जिसकी वसूली उसके बिल से की जायेगी।
2. श्रमिकों सम्बन्धी सभी प्रकार का दायित्व ठेकेदार का होगा।
3. ठेंकेदार का श्रमिक सफाई का पंजीकरण फर्म द्वारा कार्यादेश अनुसार करवाया जाना होगा।
4. राज्य सरकार के नियमानुसार कर आदि की कटौति ठेंकेदार के मासिक बिल से की जावेगी।
5. रांज्य सरकार या निकाय स्तर पर अन्य किसी भी कारण से पालिका ठेके को 15 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकता हैं। जिसके लिए किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं की जा सकेगी।
6. निदेशालय के परिपत्र दिनांक 19.09.2011 के अनुसार सफाई कार्य के लिए बीट्स हेतु अनुबन्धित सफाई श्रमिकों को फर्म द्वारा परिचय पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें क्षेत्र नाम,स्थान एवं वार्ड का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। बीट्स की प्रतिदिन उपस्थिति की व्यवस्था संविदा फर्म स्वयं करेगी एवं नगर पालिका द्वारा समुचित नियंत्रण रखा जायेगा।
7. ठेके में समय–समय पर राज्य सरकार व अन्य द्वारा जारी परिपत्र व निर्देशा की पालना किये जाने हेतु संविदा फर्म पाबन्द रहेगी।
8. ठेके के अन्तर्गत कार्यरत संविदा स्तर के श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक अधिनियम के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों पर भुगतान संवेदक द्वारा जरिये चैक अथवा श्रमिक के बैंक खातों के माध्यम से किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी के कम का भुगतान करना पाया जाने पर कार्यवाही करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
9. संविदा श्रमिक को सफाई सम्बन्धी व अन्य कार्य में समय–समय पर काम आने वाले समस्त औजारो आदि उपलब्ध करवाने का दायित्व संविदा फर्म का होगा यदि इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का औजार या संशाधन निकाय द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है तो उसका शुल्क प्रतिमाह बिल से काटा जावेगा।
10. ठेंकेदार द्वारा अपना ठेका किसी भी अवस्था में अन्य व्यक्ति,संस्था आदि को किसी भी अवस्था मे हस्तानान्तरण नही करेगा।
11. ठेकेदार को परिषद् के किसी भी अधिकारी, पार्षद,कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत् 10/रूपये नान ज्युडिशियल के स्टाप पर कार्यापालक मजिस्ट्रेट प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. संवेदक द्वारा पालिका में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिक कार्य अनुरूप अनुभवी होना अनिवार्य होगा।
13. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र परबतसर होगा।
14. किसी भी विवाद के लिये अंतिम निर्णय अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परबतसर का मान्य होगा।
15. यह ठेका कार्यादेश जारी होने से आगामी एक वर्ष तक मान्य होगा एवं पालिका द्वारा आवश्यकतानुसार या आगामी वर्ष की निविदा सम्बन्धी कार्यवाही समय पर सम्पादित नहीं होने पर नियमानुसार कार्यावधि बढाई जा सकती हैं। जिसके लिए संवेदक बाध्य रहेगा।
16. संवेदक को जारी किये गये कार्यादेश को पालिका स्तर पर सफाई व कार्यालय स्तर की समुचित व्यवस्था /सफाई भर्ती हो जाने पर 15 दिवस का सूचना पत्र जारी कर ठेका निरस्त किया जा सकेगा। जिसका पूर्ण एकाधिकार पालिका के पास सुरक्षित रहेगा। जिसके लिए निकाय के विरूद्ध संवेदक किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकेगा।
17. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निर्धारित राशि का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प इकरार नामे बाबत् एवं 05 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निकाय कोष में जमा करवानी होगी।

18. ठेकेदार द्वारा बिल प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसको भुगतान समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होते ही शीघ्र कर दिया जायेगा। निविदा समय जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित की जावेगी।

19. राज्य सरकार द्वारा जब भी न्यूनतम मजदूरी बढाई जावेगी उसी अनुपात में प्रतिशत राशि बढाकर भुगतान फर्म को किया जावेगा।

20. संवेदक को उक्त कार्य पेटे नियमानुसार ईपीएफ/ईएसआई व अन्य कटौति प्रत्येक माह की जमा करवाकर आगामी माह के बिल के साथ पालिका में प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

21. पालिका स्तर से बीओक्यू/बिड दर प्राप्ति प्रपत्र में श्रमिक सम्बन्धी न्यूनतम दर व ईएसआई व ईपीएफ दर को सम्मिलित कर कुल प्रति माह दर का निर्धारण किया गया हैं। उक्त आरक्षित दर से फर्म द्वारा यदि न्यूनतम दर प्रस्तुत की जाती है तो वह किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगी एवं बिड हेतु उक्त संवेदक को अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

22. सवेदक द्वारा बिड के तहत प्रस्तुत दर समस्त केन्द्रीय / राज्य स्तर से सम्बन्धित निर्धारित कर सहित मानी जावेगी एंव ठेके पेटे भुगतान की जाने वाली राशि से सम्बन्धित कर आदि जमा कराने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। इससे सम्बन्धित पालिका स्तर से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

23. संवेदक को उक्त कार्य पेटे नियमानुसार ईपीएफ/ईएसआई व अन्य कटौति प्रत्येक माह की जमा करवाकर आगामी माह के बिल के साथ पालिका में प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

24. संवेदक को सफाई कार्य पूरे माह करना होगा कोई अवकाश देय नहीं हैं।

25. बिड समय निर्धारित की गई शर्तो की पालना शत प्रतिशत करनी होगी।

26. *RTPP ACt 2012 & Rules 2013* की पालना अक्षरतः करनी आवश्यक होगी।

उपरोक्त शर्तें का अवलोकन मेरे द्वारा भली भांति कर लिया गया हैं तथा इनसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदाता